भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 886
07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सैनिटरी पैड्स में रासायनिक अवयव

886. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पर्यावरणीय गैर-सरकारी संगठन "टॉक्सिक्स लिंक' द्वारा "मासिक धर्म अपशिष्ट 2022' शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें सैनिटरी पैड के नमूनों में शैलेट्स और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में सैनिटरी पैड्स में रासायनिक सामग्री के मिश्रण की अनुमेय सीमा के संबंध में कोई स्पष्ट विनियम हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन सैनिटरी पैड्स के विनिर्माताओं के लिए और अधिक कठोर विनियमों पर विचार कर रही है जिनमें विषैले रसायनों के लिए अनिवार्य परीक्षण और कंपनियों द्वारा पैकेजिंग पर अवयव सूचियों का खुलासा करने की अनिवार्यता रहेगी क्योंकि इन उत्पादों को चिकित्सा उत्पादों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कारण वर्तमान में ऐसी लेबलिंग से छूट प्राप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) थैलेट्स और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जैसे रसायनों के सम्बन्ध में स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सैनिटरी उत्पादों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): भारत सरकार मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में किशोरियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, किशोरियों की सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच बढ़ाने और उनके उपयोग को बढ़ाने तथा पर्यावरण अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान के लिए 10-19 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना कार्यान्वित करती है। किशोरियों को कवर करने के लिए यह योजना पूरे देश में कार्यान्वित की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से इसका समर्थन किया जाता है। राज्यों को सूचित किया गया है कि सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं को बनाए रखने के लिए उपयुक्त गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सैनिटरी नैपकिन पर भारतीय मानकों को आईएस 5405:2019 सैनिटरी नैपकिन विनिर्देश और आईएस 17514:2021 पुन: प्रयोज्य सैनिटरी पैड/सैनिटरी नैपकिन/पीरियड पैंटी विनिर्देश के रूप में प्रकाशित किया है। इन मानकों में सामान्य त्वचा रोगजनकों के लिए स्वच्छता परीक्षण, सैनिटरी पैड में थैलेट परीक्षण और साइटोटॉक्सिसिटी, जलन और त्वचा संवेदीकरण परीक्षणों को कवर करने वाली जैव-अनुकूलता मूल्यांकन की आवश्यकता शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम उत्पाद उपयोग के लिए सुरक्षित है। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 से आईएस 5405: 2019 और आईएस 17514: 2021 का अनुपालन अनिवार्य करने के लिए बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) अधिसूचित किया है।

*****